UPSH010011042026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-508/2026

1–शहनूर उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र अली दराज, निवासी ग्राम हथौड़ा बुजुर्ग, थाना रोजा, जिला शाहजहाँपुर।

2–रविन्द्र उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र गजेन्द्रपाल, निवासी ग्राम धनौरा, थाना भमोरा, जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ।

मुकदमा अपराध संख्या-479/2025,

धारा-305(a), 331(4), 317(2) B.N.S

थाना-सिंधौली, जिला-शाहजहॉपुर।

दिनांकः 06-03-2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण शहनूर एंव रविन्द्र की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या-479/2025, धारा-305(a), 331(4), 317(2) B.N.S, थाना-सिंधौली, जिला-शाहजहॉपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की पैरोकार झांझरी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार यह आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा थाना सिंधौली पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी की कस्वा सिंधौली की सर्राफा मार्केट में ज्वैलर्स की दुकान नितिन गुप्ता ज्वैलर्स के नाम से है। वादी की आज दिनांक 17-12-2025 की बीती रात करीब 01.00 बजे अज्ञात चोरो द्वारा दुकान की पश्चिमी शटर तोड़कर दुकान के अन्दर रखी अलमारी तोड़ दी, जिसमें रखी लगभग पाँच किलो चाँदी, 90 ग्राम सोना और नगद चालीस हजार रूपये व कुछ अन्य सामान चोरी कर ले गये। वादी को जब कस्बे के कुछ व्यापारियों ने सूचना की, तब वादी ने आकर दुकान को खोला तो देखा अन्दर अलमारी का लाँक टूटा हुआ है और रखा हुआ सामान गायब है तथा कस्वा सिंधौली में ही शोभित गुप्ता की निरंकारी ज्वैलर्स सर्राफा दुकान व आकाश गुप्ता की त्रिलोकी नाथ साड़ी सेंटर में दुकानो से भी ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि वे निर्दोष है। रंजिशन झूँठा फॅसाया गया है। जिस प्रकार की घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शायी गयी है, उस प्रकार की कोई घटना घटित नही हुयी है। अभियुक्तगण के पास से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नही दर्शायी गयी है।

Date: 06-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)

कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है तथाकथित घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नही है। अभियोग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सहअभियुक्त आरिस की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्तगण दिनांक 01-01-2026 से जेल में है। अतः दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण/आवेदकगण द्वारा वादी मुकदमा की दुकान का ताला तोड़कर दुकान से पाँच किलो चाँदी, 90 ग्राम सोना और नगद चालीस हजार रूपये व कुछ अन्य सामान चोरी की गयी तथा अभियुक्तगण के कब्जे से पीली व सफेद धातु तथा रूपये की बरामदगी दर्शायी गयी है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण/आवेदकगण पर वादी मुकदमा की दुकान का ताला तोड़कर दुकान से पाँच किलो चाँदी, 90 ग्राम सोना और नगद चालीस हजार रूपये व कुछ अन्य सामान चोरी किये जाने तथा अभियुक्तगण के कब्जे से पीली व सफेद धातु तथा रूपये बरामद किये जाने का आक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराया जाना दर्शाया गया है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही दर्शाया गया है। अभियोग मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्तगण की भूमिका सहअभियुक्त के समान है। सहअभियुक्त आरिस की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्तगण/आवेदकगण दिनांक 01–01–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एंव परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण/आवेदकगण शहनूर एंव रविन्द्र, जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–479/2026, मुकदमा अपराध संख्या–479/2025, धारा–305(a), 331(4), 317(2) B.N.S, थाना–सिंधौली, जिला–शाहजहॉपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा अंकन **75,000/–75,000/–हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र एंव समान राशि के दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर निम्न शर्तो के अधीन उसे जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1– आवेदकगण/अभियुक्तगण दौरान परीक्षण वाद आरोप के बिन्दु पर सुनवाई के समय, बयान के समय, साक्षी के उपस्थित आने तथा अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करेंगे व न्ययालय में उपस्थित रहेगें।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी साक्षी को डरायेगे व धमकायेगे नही तथा विचारण में सहयोग करेंगे।

Date: 06-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण अग्रिम नियत तिथियों पर अनुपस्थित रहते है तो उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त होता है तो उनका बन्धपत्र स्वतः जब्त माना जायेगा।

दिनांकः 06-03-2026

(विष्णु कुमार शर्मा)
सत्र न्यायाधीश,
शाहजहॉपुर।
जे०ओ०कोड-यू०पी०-1890

Date: 06-03-2026

(Vishnu Kumar Sharma)
Sessions Judge, Shahjahanpur.
(J.O. Code No. U.P. 1890)